

हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारिख  
अहकाम जो इस हुवम  
की तामील में जारी हुए

13.03.2020 उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित गत पेशी पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत कथन किया गया कि चक 14 के.एस.पी. में प्रतिवादीगण का सड़क के दोनों ओर खातेदारी रकबा है, बीच में से मुण्डा रोड निकलती है। इस खाता में से पुलिस चौकी निर्माण हेतु राज्य सरकार के हक में पत्थर नम्बर नम्बर 143/319 किला नम्बर 18/.017 व किला नम्बर 23/.017 कुल 0.034 हैक्टर रकबा को सरेण्डर कर गैर मुमकिन पुलिस चौकी राज्य सरकार दर्ज हो चुका है, इस रकबा पर खातेदारी हकूक जताने हेतु पूर्व में रणजीत वगैरह बनाम गोविन्द राम बैगरह का मुकदमा सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ के पेश हुआ जो बेबुनियाद ही था दावा खारिज होता इसलिये वादी नें वाद अदम हाजरी में खारिज करवाया कुछ समय बाद वाजवा नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 23072008 को खारिज किया अब मौका पर पुलिस चौकी का निर्माण प्राप्त हो चुका है। राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार है उन्हें बिना सुने किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं हो सकता है।

इसी अनुतोष बाबत पूर्व में इन्ही पक्षकारान के बीच खारिज हो चुका है, तो उन्ही तथ्यों पर उसी अनुतोष बाबत नया वाद कानूनन नहीं लाया जा सकता है। ऐसे में रेस्ज्यूटीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि चक 14 के.एस.पी. के खाता संख्या 88/87 कुल 2.200 हैक्टर मय गैर मुमकिन भूमि का हक व हिस्सा है, तथा मुताबिक घर बंटवारा के मुझ वादी को अन्य अराजीयात के अलावा पत्थर नम्बर 143/319 (14) किला नम्बर 24/.190 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से इसी खाता 75/69 के पत्थर नम्बर 134/319 (14) किला नम्बर 23/1 में 0.115, हैक्टर भूमि है, तथा किला नम्बर 23 में मन्दिर बना हुआ है। तथा किला नम्बर 23 के पूर्वी व किला नम्बर 24 के पश्चिम में 100 फुट सड़क है। उक्त किला नम्बर 23 के पश्चिमी दिशा में बना हुआ है, अब प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि किला नम्बर 23/1 में 0.115 हैक्टर का अन्यत्र बेचान बिना पैमाईश के ही करना चाहते है।

प्रतिवादी का कथन कतई गलत व विधि विरुद्ध है, कि पूर्व के वाद में मुझ वादी को कोई सूचना नहीं थी। इससे पूर्व ही वाद खारिज हो गया जिसका मुझ वादी पर कोई प्रभाव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की रामायत बहस पर मनन करने तथा पत्रावली के अवलोकन से पाया कि वादीगण के वाद का मुख्य आधार भूमि के पैमाईश का होने के कारण विवादित आराजी का बिना पैमाईश किसी प्रकार से वाद पत्र का निर्णय नहीं किया जा सकता है, इस कारण प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पोषणीय नहीं पाये जाने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया कि वाद का मुख्य आधार भूमि के पैमाईश होना है। वादी/प्रतिवादी द्वारा तहसीलदार के समक्ष नियमानुसार भूमि पैमाईश का आवेदन प्रस्तुत करने पर ही सम्बंधित पक्षकार की भूमि का निर्धारण होना है। अतः वाद वादी वर्तमान स्तर पर निर्णय शुमार कर उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है, कि वे तहसीलदार हनुमानगढ़ के यहां भूमि पैमाईश हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर भूमि की पैमाईश होने के उपरान्त अपनी अपनी भूमि का नियमानुसार उपयोग उपभोग करें। तब तक उभयपक्ष एक दुसरे की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(सकमिस साइबर)  
उपसह उपायुक्त अधिकारी हुवम  
पदेन सहायक कलैक्टर  
हनुमानगढ़

